[2018] 5 एस. सी. आर 93

भारत और अन्य का संघ

वी.

कोल रन सिंह दूदी

(2017 की सिविल अपील संख्या 11009)

03 जुलाई, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

सेना अधिनियम, 1950-एस। 83 , 39 (क)-चयन-इनमें से चयन

लेफ्टिनेंट कर्नल का पद कर्नल के पद तक-तथ्यों, निष्कर्षों पर

प्रत्यर्थी के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल-सेना अधिकारी को रद्द कर दिया गया

प्रत्यर्थी की बहाली-को निर्देश जारी करना

उक्त के लिए सभी परिणामी लाभों के भुगतान के लिए सरकार

अवधि-इसके बाद, प्रत्यर्थी को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया

और, कर्नल के रूप में समय पैमाने पर पदोन्नति भी दी गई-हालांकि, अधिकारी

ब्रिगेडियर-उत्तरदाता के पद पर पदोन्नत कनिष्ठ से उत्तरदाता ने उसी को चुनौती दी-चयन बोर्ड ने उत्तरदाता को उपयुक्त नहीं पाया,

और सूचीबद्ध नहीं किया गया था-बाद के क्रम में, चयन बोर्ड

उत्तरदाता को पद पर चयन द्वारा पदोन्नत किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया

कर्नल-हालाँकि, न्यायाधिकरण ने उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन को पाया

चयन बोर्ड विकृत होगा और इसके लिए निर्देश जारी करेगा

सरकार एक नए चयन बोर्ड का गठन करेगी-आयोजितः जबकि जनरल कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों और प्रभाव को रद्द करना

कार्यवाहियों में, उन लाभों को प्रदान करने का विचार था जिन्हें अधिकारी ऐसी कार्यवाहियों के लंबित होने के परिणामस्वरूप सीधे अस्वीकार कर दिया गया था।

—

ऐसे लाभ वे होंगे जिनकी मात्रा आसानी से निर्धारित की जा सकती है।

जो वेतन, परिलब्धि और अन्य लाभों के नुकसान की प्रकृति में हैं।

लेकिन इस अभिव्यक्ति का अर्थ पदोन्नति नहीं माना जा सकता है।

जो सख्ती से तुलनात्मक योग्यता और चयन के आधार पर हैं।

अधिकारी को भी सम्मानित किया जाना चाहिए-तथ्यों पर, चयन

बोर्ड ने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार किया और प्रतिवादी को पाया

"कर्नल" के रूप में चयन के लिए अयोग्य-मूल्यांकन संचयी था

उन छह मापदंडों के विपरीत श्रेणीकरण को ध्यान में रखते हुए-कार्रवाई

चयन बोर्ड की ओर से फटकार की प्रविष्टि पर भरोसा करने में

चयन नीति के अनुरूप था और इसकी विशेषता नहीं दी जा सकती थी

किसी भी तरह से गलत या अवैध-इसके अलावा अन्य कारक भी थे

जिसका चयन बोर्ड के साथ वजन था-इस प्रकार, न्यायाधिकरण था

चयन द्वारा किए गए मूल्यांकन को खोजने में पूरी तरह से अनुचित

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बोर्ड का विकृत होना-न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के निष्कर्षों और प्रभाव को रद्द करते समय, उन लाभों को प्रदान करने का विचार था जिनसे अधिकारी को ऐसी कार्यवाही के लंबित होने के परिणामस्वरूप सीधे इनकार कर दिया गया था। इस प्रकार के लाभ होंगे -

जो आसानी से मात्रात्मक हैं, अर्थात् वे जो वेतन, परिलब्धियों और अन्य लाभों के नुकसान की प्रकृति में हैं। लेकिन इस अभिव्यक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि पदोन्नति भी जो सख्ती से तुलनात्मक योग्यता और चयन के आधार पर होती है, उन्हें भी किया जाना चाहिए।

अधिकारी को पद प्रदान किया गया। यह सच है कि जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही के लंबित होने के परिणामस्वरूप

प्रत्यर्थी को लगभग नौ वर्षों तक सेवा से बाहर रखा गया था और इस तरह उसकी प्रोफ़ाइल कुछ हद तक अपर्याप्तता दिखाएगी। दूसरी ओर विभाग को भी उचित कार्य से वंचित कर दिया गया।

उन वर्षों के लिए प्रत्यर्थी के प्रोफाइल का मूल्यांकन। [पैरा 6] [108-एफ-एच; 109-ए]

पदोन्नति के लिए भी विचार किया जाना चाहिए जो सख्ती से "चयन" आधार पर आधारित हैं जिन्हें इस न्यायालय द्वारा के. डी. गुप्ता मामले में स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में निर्देश पारित करने में पूरी तरह से गलती की। चूँकि विधि अधिकारी की राय संबंधित के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी के. डी. गुप्ता मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित नियम और कानून, विभाग को गंभीर आपत्तियां व्यक्त करने में उचित ठहराया गया था और

नोट बनाने में। न्यायाधिकरण ने विधि अधिकारी की राय को अनुचित महत्व दिया। [पैरा 7] [109-एफ-एच; 110-ए]

1.3 इस मामले पर चयन बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर विचार किया गया था जिसने प्रत्यर्थी को चयन के लिए अयोग्य पाया " कर्नल "। बोर्ड द्वारा छह संकेतकों या मापदंडों पर मामले का विश्लेषण किया गया था। मूल्यांकन संचयी था जिसमें लिया गया था

उन छह मापदंडों के विपरीत श्रेणीकरण को ध्यान में रखें। मान लीजिए, उत्तरदाता इंडिका संख्या के मामले में कम था। ((ii), (iv) और (v) अन्य सभी तीन अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें एक अधिकारी शामिल था जो

बिल्कुल भी सूचीबद्ध नहीं। इसके अलावा, भारत संघ के रूप में फटकार की प्रविष्टि v.

कोल रन सिंह दूदी

इंडिका नं. (vi) के विरुद्ध प्रत्यर्थी के मामले को भी नकारात्मक रखा गया है। [पैरा 8] [110-ए-सी]

1.4 चयन नीति के संदर्भ में जिसे अपीलार्थियों द्वारा अभिलेख पर रखा गया है, अनुशासनात्मक पुरस्कार का हिस्सा है -

एक अधिकारी की समग्र रूपरेखा। उक्त प्रावधान वास्तव में निर्धारित करता है, "चरित्र, गुण, अनुशासनात्मक पृष्ठभूमि और सजावट एक अधिकारी की समग्र प्रोफ़ाइल के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाते हैं और सीमा रेखा का आकलन करते समय उचित विचार किया जाना चाहिए।

मामले "। चयन बोर्ड की ओर से इस पर निर्भर रहने की कार्रवाई

इस प्रकार फटकार की प्रविष्टि चयन नीति के अनुरूप थी और इसे किसी भी तरह से गलत या अवैध के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। किसी भी मामले में चयन बोर्ड के लिए यह एकमात्र संकेत नहीं था। इस तरह की प्रविष्टि को छोड़ने पर भी, प्रतिवादी को अन्य तीन संकेतकों पर तीन अधिकारियों के मुकाबले कम पाया गया। भले ही उन तीन अधिकारियों में से एक ने उन तीन संकेतों पर प्रतिवादी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था और उसके पास कोई प्रविष्टि या फटकार भी नहीं थी, वह एक पैनल में शामिल अधिकारी नहीं था। यह ठीक इसी कारण से है कि कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए योग्य है या नहीं, यह विधिवत गठित चयन समिति द्वारा तय किया जाना है, जिसके पास इस पर विशेषज्ञता है -

विषय "। [पैरा 9] [110-डी-एफ]

1.5 प्रतिवादी का समग्र सी. आर. प्रोफाइल अंतिम पैनल में शामिल अधिकारी की तुलना में बेहतर था। लेकिन प्रतिवादी निश्चित रूप से अन्य तीन संकेतकों या मापदंडों पर कम था। यह संचयी मूल्यांकन है जिसकी चयन बोर्ड से अपेक्षा की गई थी और उसने किया था उपक्रम करें। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि चयन बोर्ड के मूल्यांकन को किसी भी मामले में नुकसान हुआ है। यह मामला ऐसा नहीं है जहां अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है या प्रासंगिक कारकों को छोड़ दिया गया है या

विचार से हटा दिया गया। चयन बोर्ड में शामिल थे

भारतीय सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी। चयन बोर्ड के सदस्यों की ओर से की गई कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं है और न ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस प्रकार न्यायाधिकरण ने चयन बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन को विकृत पाते हुए पूरी तरह से अन्यायपूर्ण पाया। न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण और किया गया मूल्यांकन

यह पूरी तरह से गलत था। न्यायाधिकरण भी नहीं था

प्रत्यर्थी को पाँच लाख रुपये की लागत देने में न्यायसंगत। न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 10,11,13] [110-जी-एच; 111-ए-बी, डी] [2018] 5 एस. सी. आर.

1.6 यह हो सकता है कि प्रतिवादी को गलत तरीके से आगे बढ़ाया गया हो

जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा इसके विरुद्ध और दंडित किया गया। उन्हें कारावास की सजा भी सुनाई गई और नौ साल की सेवा खो दी गई। पूर्वाग्रह काफी स्पष्ट है। हालाँकि, सहानुभूति योग्यता पर विचार से अधिक नहीं हो सकती है। 26 साल की नियमित सेवा के बाद उन्हें कर्नल के पद पर समयबद्ध पदोन्नति मिली है। लेकिन अगर उन्हें चयन के माध्यम से सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, तो मामला वहीं समाप्त होना चाहिए।

[पैरा 12] [111-सी-डी]

भारत संघ बनाम। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह कादयान

(2000) 6 एससीसी 698: [2000] 1 पूरक। एससीआर 722; दलपत

आबासाहेब सोलुंके बनाम। बी. एस. महाजन (1990) 3 एससीसी 305;

एयर वाइस मार्शल एस. एल. छाबड़ा, वी. एस. एम. (सेवानिवृत्त) बनाम। संघ

भारत सरकार (1993) पूरक 4 एस. सी. सी. 441: [1993] 3 एससीआर 669;

सुरिंदर शुक्ला बनाम। भारत संघ (2008) 2 एससीसी 649:

[2008] 1 एससीआर 449; लेफ्टिनेंट कर्नल के. डी. गुप्ता बनाम। संघ का

भारत और अन्य (1989) पूरक 1 एस. सी. सी. 416

[1

989] 2

एससीआर 370 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 1 पूरक। एससीआर 722

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

(1990) 3 एससीसी 305

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[1993] 3 एससीआर 669

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[2008] 1 एससीआर 449

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 एससीआर 370

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 11009 से

2017 .

ओ. ए. में 17.01.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से। सं. 260

2016 का सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ।

के साथ

2018 का सी. ए. सं. 5973।

श्री मनिंदर सिंह, एएसजी, आर. बालासुब्रमण्यम, प्रभास बजाज,

अक्षय अमृतांशु, सुश्री आरती शर्मा, सुश्री साक्षी कक्कड़, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

भारत संघ v. कोल रन सिंह दूदी

उत्तरदाता-व्यक्तिगत रूप से

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे. 1. ये याचिकाएँ सवाल उठाती हैं कि

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों के बाद।

(क) 2017 की सिविल अपील No.11009 दिनांकित 17.01.2017 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैः (ख) 2017 की सिविल अपील (डायरी) No.40312 अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन के साथ निर्णय और दिनांकित आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

12.09.2017 . अपील करने की अनुमति दी गई।

2. वर्तमान मामले में प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

(उत्तरदाता को शुरू में 1981 में सोवर के रूप में भारतीय सेना में नामांकित किया गया था। उन्होंने यूनियन पब्लिक द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की।

वर्ष 1988 में सेवा आयोग में नियुक्त हुए और एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए और उन्हें सेना के आयुध दल में द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कुछ प्रशंसाएँ और प्रशंसाएँ मिलीं। हालाँकि, प्रत्यर्थी पर सेना अधिनियम, 1950 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 83 के तहत कमांडर, 29 आर्टिलरी ब्रिगेड द्वारा 27.06.1991 से 29.06.1991 तक 3 दिनों के लिए 'बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने' के अपराध के लिए संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। द.

प्रत्यर्थी ने सेना अधिनियम की धारा 39 (ए) के तहत आरोप स्वीकार किया और उसे 'प्रतिशोध' की सजा सुनाई गई।

(बी) जब प्रतिवादी 2004-05 में मेजर के रूप में सेवा कर रहा था, तो उस पर जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा चार आरोपों में मुकदमा चलाया गया था। पहला चार्ज

धारा 52 के तहत यह प्रभाव था कि जब प्रतिवादी नवंबर 2000 और मई 2002 के बीच सौगोर में तैनात था, तो उसने स्वर्गीय सिपाही हवा सिंह की याद में एक युद्ध स्मारक बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित 864 हेक्टेयर भूमि की खरीद के लिए एक मामला चलाया, जो उनके बड़े भाई थे।

उत्तरदाता। दूसरा आरोप पहले आरोप से जुड़ा था और इसका प्रभाव यह था कि कार्यवाहक कमांडिंग अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने उपरोक्त भूमि के आवंटन के लिए कलेक्टर, सौगोर को 09.11.2000 पर एक डेमी आधिकारिक पत्र अनुचित तरीके से लिखा। तीसरा आरोप दूसरे आरोप से जुड़ा था जबकि चौथे आरोप के अनुसार प्रत्यर्थी सेना के आदेश 3/एस/98 के उल्लंघन में उक्त भूमि के अधिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा था।

(ग) 16.05.2005 पर, उन्हें पहले और तीसरे आरोपों का दोषी पाया गया, लेकिन दूसरे और चौथे आरोपों का दोषी नहीं पाया गया और उन्हें दोषी ठहराए जाने की सजा सुनाई गई। कैशियर किया गया और तीन साल के लिए कठोर कारावास का सामना करना पड़ा। उस पर

21.10.2005 , सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पहले, दूसरे और चौथे आरोप के संबंध में निष्कर्षों की पुष्टि की लेकिन तीसरे आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा की पुष्टि तीन साल के कठोर कारावास में से छह महीने की छूट के साथ की गई थी। हालाँकि इस मुद्दे से संबंधित कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी 07.07.2001 पर उक्त आरोपों के संबंध में मुकदमा चलाया गया था।

19.10.2004 पर शुरू हुआ था।

1988 बैच के कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए चयन अगस्त 2006 में किया गया था और उचित चयन किया गया था। चूंकि प्रतिवादी, उस समय तक जनरल कोर्ट मार्शल में दंडित हो चुका था, इसलिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया था। (ई) चूंकि उनकी सांविधिक शिकायत पर नियत समय पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए प्रत्यर्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जो

बाद में उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा अंतरिम स्तर पर जारी निर्देशों के अनुसरण में, लंबित सांविधिक शिकायत पर विचार किया गया और मामले को भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल की राय के लिए भेजा गया। विद्वान महान्यायवादी द्वारा दी गई राय के अनुसार

01.11.2013 अपील के तहत निर्णयों में व्यापक रूप से उद्धृत और भरोसा किया गया है, राय का समापन भाग यहां निकाला गया हैः

" 17. चूँकि पहली जाँच अदालत को 07.07.2001 पर बुलाने का आदेश दिया गया था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि कथित अपराध (यानी भूमि के धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन) की जानकारी ऐसी तारीख को या उससे पहले प्राप्त की गई थी। आवेदक का परीक्षण 19.10.2004 से शुरू हुआ, जो उस तारीख से 3 साल आगे है। इस प्रकार, मेरी राय में,

सी. जी. एम. की कार्यवाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

18. गुण-दोष पर भी, सी. जी. एम. द्वारा दोष का निष्कर्ष इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मान्य नहीं है कि मंत्रालय भी इसमें स्पष्ट नहीं है।

जिनके नाम पर भूमि आवंटित की गई थी, जैसा कि पैराग्राफ 12 में ऊपर उल्लेख किया गया है और यह कि जहां तक एमपी सरकार का संबंध है, आवंटन अन्यथा भी वैध था, जैसा कि पैराग्राफ 15 में बताया गया है। द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को कोई चुनौती नहीं दी गई है

मजिस्ट्रेट जांच।

19. यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि आवंटन का उद्देश्य केवल एक युद्ध स्मारक का निर्माण करना था, जो सरकार को भूमि के समर्पण के आधार पर नहीं किया गया है। मैं कोई गलत आर्थिक लाभ भी नहीं देख पा रहा हूं। समग्र दृष्टिकोण से, आवेदक के इरादे को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

कुछ ऐसा जो कानून द्वारा निषिद्ध है। यह केवल अपने भाई की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए था। इन सभी तथ्यों को समग्र रूप से लेते हुए, मेरी राय में, जी. सी. एम. के निष्कर्ष अस्वीकार्य प्रतीत होते हैं। नोट 89 द्वारा भी मेरे विचार की पुष्टि की गई है जो इससे स्पष्ट होगा। श्री प्रवीण कुमार (निदेशक ए. जी.-I ") की फाइल। ”

(एफ) दिनांक 20.11.2013 के आदेश द्वारा, केंद्र सरकार ने प्रतिवादी द्वारा पसंद की गई सांविधिक शिकायत की अनुमति दी और निर्देश दियाः

" 8. अब, इसलिए, केंद्र सरकार, सेना अधिनियम, 1950 की धारा 165 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत, जनरल कोर्ट मार्शल निष्कर्षों की कार्यवाही और 16 मई, 2005 की सजा और 21 अक्टूबर, 2005 के पुष्टिकरण आदेश को अवैध और अन्यायपूर्ण बताते हुए रद्द कर देती है और 36 डीओयू के आईसी-47908 एफ, मेजर रण सिंह दुदी द्वारा दायर याचिका को अनुमति देती है। नतीजतन, 369 डीओयू के आईसी-47908 एफ पूर्व मेजर रण सिंह दुदी पर लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया गया है और वह इस विषय पर नियमों के तहत स्वीकार्य सभी परिणामी लाभों का हकदार है।

(जी) इसके बाद प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल कर दिया गया था

13.01.2014 और पूरी अवधि के लिए सभी परिणामी लाभों का भुगतान किया। 16.08.2014 पर, प्रतिवादी को 16.12.2004 से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया था। जनवरी, 2015 में किसी समय, एक अधिकारी जो प्रतिवादी से कनिष्ठ था, को ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत किया गया था। इसलिए प्रत्यर्थी द्वारा सभी के अनुदान के लिए एक अभ्यावेदन किया गया था

परिणामी लाभ "। वह मुख्य रूप से अपने गैर से दुखी था

ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नति के लिए पैनल। इस समय के आसपास 30.06.2015 पर, प्रत्यर्थी को 26 साल की सेवा पूरी करने पर कर्नल के रूप में टाइम स्केल पदोन्नति दी गई थी।

(ज) जहां तक प्रत्यर्थी द्वारा की गई शिकायत और उस ओर से उसके प्रतिनिधित्व का संबंध है, मामला फिर से कानून के पास भेजा गया था। भारत सरकार के अधिकारी, जिन्होंने अपनी राय दिनांक 30.12.2015 में कहा कि प्रत्यर्थी को उनके बैच के साथियों और तत्काल कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने वाले पद पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है, कि भारत सरकार ने दिनांक 20.11.2013 के आदेश में निर्देश दिया है कि सभी [2018] 5 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी को परिणामी लाभ दिए जाएँ, प्रासंगिक नियमों के तहत अनिवार्य मांगों को माफ कर दिया जाएगा और प्रत्यर्थी को ब्रिगेडियर का पद दिया जाना चाहिए। हालांकि विभाग द्वारा गंभीर आपत्ति व्यक्त की गई थी, जिसका विचार था कि चयन बोर्ड द्वारा चयन के तौर-तरीकों के अलावा ब्रिगेडियर के पद पर कोई पदोन्नति नहीं दी जा सकती है और रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव द्वारा 03.02.2016 पर उस ओर से एक उपयुक्त टिप्पणी लिखी गई थी। नं. 3 इसके बाद चयन बोर्ड का गठन किया गया और उक्त चयन बोर्ड द्वारा 26.04.2016 पर किए गए मूल्यांकन में, प्रत्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया गया और इसलिए उसे पैनल में शामिल नहीं किया गया।

(I) पीड़ित प्रतिवादी ने 2016 का ओ. ए. सं. 260 दायर किया।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ ने ब्रिगेडियर के पद पर उनकी गैर-सूची पर सवाल उठाया। अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तुत किया गया था किः

(i) उत्तरदाता सैनिकों के परिवार से था। हालांकि उन्होंने कड़ी मेहनत से वर्ष 1981 में सोवर के रूप में दाखिला लिया था, लेकिन उन्हें वर्ष 1988 में एक कमीशन अधिकारी का दर्जा मिला। अपनी पोस्ट में

कारगिल में उन्हें सी. ओ. ए. एस. प्रशंसा पत्र मिला। वह भी।

2002 .

(ii) 1990 में उन्होंने विभिन्न अनियमितताओं का हवाला देते हुए अपने वरिष्ठों के खिलाफ शिकायतें की थीं। इसके अलावा, अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए उन्होंने ब्रिगेडियर कमांडर को मामले की सूचना दी थी। नाराज हुए।

ऐसी रिपोर्टिंग में, प्रत्यर्थी को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में गलत तरीके से फंसाया गया था जिसमें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया था। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी जो मंच पर प्रबंधित पाई गई थी। इसके विपरीत कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में जिन अधिकारियों के खिलाफ प्रत्यर्थी ने शिकायत की थी, उन्हें दोषी पाया गया और वे उपयुक्त थे। दंडित किया।

(iii) वर्ष 1997 में जब वे जोधपुर में तैनात थे, वे पोखरण फील्ड फायरिंग के लिए निविदा उद्घाटन बोर्ड के सदस्य थे। रेंज। उन्होंने उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी कि

नीलामी की कार्यवाही में गलत प्रथाओं के संबंध में जिसके अनुसार नीलामी की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। (iv) चूंकि उन्होंने वरिष्ठों की भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में रिपोर्ट की थी, इसलिए वरिष्ठों ने जवाबी कार्रवाई में भारत के राजस्व संघ v के दस्तावेजों को जाली बनाया था।

कोल रन सिंह दूदी [उदय उमेश ललित, जे।]

भूमि के आवंटन के संबंध में प्रत्यर्थी को उद्देश्य बताते हुए न्यायालय। हालांकि शुरू में उन्हें सजा के आदेश के साथ देखा गया था, जिसका नाम था, "रिकॉर्डिंग ऑफ डिसप्लेजर", ने कहा कि सजा को बाद में रद्द कर दिया गया था।

(v) उन्हें जनरल कोर्ट मार्शल में गलत तरीके से फंसाया गया था। किसी भी मामले में उसकी बेगुनाही दिनांकित 20.11.2013 के आदेश के कारण स्थापित हुई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया था कि वह सभी का हकदार है।

(vi) जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही लंबित होने के कारण उन्हें नौ साल तक सक्रिय सेवा से बाहर रखा गया था। विधि अधिकारी द्वारा दी गई राय के आधार पर 30.12.2015 उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे ब्रिगेडियर के पद के हकदार हैं।

(जे) दूसरी ओर, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने नीति के संदर्भ में आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया

और कर्नल के पद पर रहते हुए अपेक्षित सेवा अवधि नहीं दी थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कर्नल के पद पर पदोन्नति या तो विशुद्ध रूप से बोर्ड द्वारा चयन के आधार पर हो सकती है या केवल सेवा की अवधि के आधार पर हो सकती है जिसे आम तौर पर समय पैमाने पर पदोन्नति के रूप में जाना जाता है। प्रश्नगत चयन बोर्ड, अर्थात्, संख्या 3 चयन बोर्ड ने प्रत्यर्थी को पदोन्नत करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया था

" चयन "।

(के) सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने मुख्य रूप से विद्वान सॉलिसिटर जनरल की दिनांकित राय और दिनांकित आदेश पर भरोसा किया

20.11.2013 इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि प्रत्यर्थी को कुछ व्यक्तियों द्वारा निराधार आधारों पर फंसाया गया था। इसने आगे कहा कि आदेश

दिनांकित 20.11.2013 स्पष्ट था कि प्रत्यर्थी सभी का हकदार था " परिणामी लाभ "और जैसा कि विधि अधिकारी ने अपनी राय दिनांक 30.12.2015 में कहा है, प्रत्यर्थी को इस रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए था

ब्रिगेडियर। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने पाया कि विभाग ने विधि अधिकारी की राय की अनदेखी करने और 03.02.2016 दिनांकित नोट तैयार करने में न्यायसंगत नहीं था। इसने निष्कर्ष निकालाः

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम तौर पर विचार करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मामले पर विचार किया जाता है और पदधारी मानदंड की कमी के कारण अर्हता प्राप्त नहीं करता है, वह पदोन्नति के लिए दावा नहीं कर सकता है। हालाँकि, तथ्य वर्तमान में तथ्यों और परिस्थितियों में, [2018] 5 एस. सी. आर. के अनुदान के कारण बने हुए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनरल कोर्ट मार्शल (उपरोक्त) के लंबित होने के कारण परिणामी लाभ और पदोन्नति के अवसरों का नुकसान और ऐसी कार्यवाही के कारण सेवा अवधि निलंबित होने के कारण जिसे निराधार तथ्यों और आरोपों पर आधारित माना गया है, दंड आदेश को अलग करने के कारण आवेदक को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उनमें उस तारीख से उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकार शामिल है जब से उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया है। वर्तमान
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखें।

(एम) पीड़ित अपीलकर्ताओं ने 2017 की सिविल अपील No.11009 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नोटिस जारी करते समय, यह न्यायालय 01.02.2017 पर निम्नलिखित दिशा को पारित कियाः

" इस बीच, इस शर्त पर विवादित फैसले के अमल पर रोक होगी कि अपीलार्थी आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार प्रत्यर्थी की कर्नल के पद पर पदोन्नति पर निर्णय लेंगे।

(एन) संख्या 3 इसलिए, चयन बोर्ड का गठन 3.02.2017 पर किया गया था जो प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी और प्रश्न पर विचार करता था।

क्या वह कर्नल के पद पर चयन द्वारा पदोन्नत होने के योग्य था। दिनांकित 13.02.2017 की कार्यवाही से संकेत मिलता है कि बोर्ड ने तीन अन्य अधिकारियों (के दो) के साथ प्रतिवादी के प्रोफाइल पर विचार किया।

वे पैनल में शामिल अधिकारी हैं-दूसरा सबसे कम पैनल में शामिल अधिकारी है और तीसरा वह है जो पैनल में शामिल नहीं था)। अभिलेख के अनुसार, इस मामले पर छह संकेतकों के आधार पर विचार किया गया था, अर्थात् (i) समग्र सी. आर. प्रोफाइल, (ii) सबसे कम सी. आर. मूल्यांकन, (iii) पदोन्नति के लिए सिफारिशें, (iv) पाठ्यक्रम प्रोफाइल, (v) सबसे कम पाठ्यक्रम श्रेणीकरण और (vi) अनुशासन प्रोफाइल। जिन उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया गया था और जिन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया था, उनकी तुलना में प्रतिवादी की प्रोफ़ाइल उपरोक्त इंडिसिया संख्या के मामले में उन तीनों की तुलना में कम पाई गई। ((ii), (iv) और (v)। इसके अलावा इंडिसिया नं. (vi) के खिलाफ, जहां उन तीनों अधिकारियों ने "शून्य" प्रविष्टि की थी, प्रतिवादी के प्रोफाइल ने "फटकार" का संकेत दिया था।

जो 1991 में जारी किया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जिन तीन अधिकारियों को पैनल में शामिल किया गया था, उनमें से केवल एक के पास "औसत सी. आर. प्रोफाइल" को "औसत से ऊपर से उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो कि भारत संघ बनाम के समान था।

कोल रन सिंह दूदी [उदय उमेश ललित, जे।]

उत्तरदाता। प्रत्यर्थी और उन तीन अधिकारियों के तुलनात्मक विवरण को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया कि प्रत्यर्थी कर्नल के पद पर चयन द्वारा पदोन्नत होने के योग्य नहीं था।

उपरोक्त संख्या 3 चयन बोर्ड द्वारा किया गया मूल्यांकन था

सेना प्रमुख द्वारा अनुमोदित।

(0) उन तीनों की रूपरेखा के संबंध में तुलनात्मक चार्ट

अधिकारियों और प्रत्यर्थी को इसके नीचे निकाला गया है। हालाँकि हमने उन तीन अधिकारियों के नामों का खुलासा नहीं किया है।

तुलनात्मक प्रोफाइल

उत्तरदाता

अंतिम

अधिकारी नहीं अधिकारी

पैनल में शामिल

पैनल में शामिल

पैनल में शामिल

अधिकारी

कर्नल (टीएस)

लेफ्टिनेंट कर्नल वाई

लेफ्टिनेंट कर्नल जेड

लेफ्टिनेंट कर्नल एक्स

नाम

आर. एस. डूडी

ऊपर

समग्र सी. आर. प्रोफाइल। ऊपर

ऊपर

ऊपर

औसत

औसत से

औसत से

औसत

उत्कृष्टता

उत्कृष्टता

उत्कृष्टता

सबसे कम सीआर

8

8

8

7

मूल्यांकन

होना चाहिए।

सिफारिशें की जानी चाहिए

होना चाहिए।

01x मई

पदोन्नति के लिए

बढ़ावा देना

बढ़ावा देना

बढ़ावा देना

बढ़ावा देना

पाठ्यक्रम प्रोफाइल

नीचे

औसत से

औसत से

औसत से

ऊपर

ऊपर

औसत से

ऊपर

औसत

औसत

औसत

औसत

सबसे कम पाठ्यक्रम सी

सी.

सी.

ई.

श्रेणीकरण

अनुशासन प्रोफाइल शून्य

निंदा करें

नील

नील

डिसे. 91

सेना अधिनियम

धारा 39
(अनुपस्थिति।

बिना
छोड़ दें)

(पी) प्रतिवादी ने नंबर 3 चयन के निर्णय को चुनौती दी

बोर्ड ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ के समक्ष 2017 का ओ. ए. No.104 दाखिल किया। जब 2017 की सिविल अपील No.11009 थी इस न्यायालय ने इस तथ्य को दर्ज किया कि चयन बोर्ड ने [2018] 5 एस. सी. आर. पाया था।

प्रत्यर्थी कर्नल के रूप में पदोन्नत होने के लिए अयोग्य है जिसके खिलाफ निर्णय की चुनौती सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थी। इसलिए अपील को सशस्त्र बलों के फैसले का इंतजार करने के लिए स्थगित कर दिया गया।

न्यायाधिकरण ने पहले पारित अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए।

इसने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि इंडिसिया नंबर पर। ((ii), (iv) और (v) प्रत्यर्थी को निश्चित रूप से अन्य तीन अधिकारियों की तुलना में कम पाया गया था लेकिन उसने भरोसा किया था। इस तथ्य पर कि समग्र सी. आर. प्रोफाइल को "औसत से ऊपर से उत्कृष्ट" घोषित किया गया था, जबकि सबसे कम सूचीबद्ध अधिकारी को वास्तव में "औसत से ऊपर" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। न्यायाधिकरण ने टिप्पणी कीः

" 31. हमने देखा है कि पैनल में शामिल अधिकारी की समग्र प्रोफ़ाइल औसत से ऊपर है जबकि आवेदक की समग्र प्रोफ़ाइल औसत से ऊपर से बकाया है। कैसे आवेदक की पूरी प्रोफ़ाइल है

अंतिम चयनकर्ता से कम नहीं होने का निर्णय लिया गया है समझ में आता है।

32. इस प्रकार हम महसूस करते हैं कि चयन बोर्ड ने मूल अभिलेखों पर ध्यान देने के बाद निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम नहीं किया है और ऐसा लगता है कि उसने आवेदक के मामले पर पहले से ही विचार किया है।

(आर) न्यायाधिकरण ने इस प्रकार नंबर 3 चयन बोर्ड द्वारा किए गए विश्लेषण और मूल्यांकन को विकृत पाया। मूल को अनुमति देते समय

2017 के आवेदन No.104 ने अपने निर्णय और दिनांक 12.09.2017 के आदेश के माध्यम से, न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों को एक नए चयन बोर्ड का गठन करने और न्यायाधिकरण के फैसले के आलोक में प्रतिवादी के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी को लागत भी दी जिसकी राशि 5 लाख रुपये निर्धारित की गई थी।

(एस) इसके बाद अपीलकर्ताओं ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 31 के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी। हालाँकि आवेदन को 13.11.2017 पर अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके बाद अपीलार्थी द्वारा अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन के साथ 2017 की सिविल अपील (डायरी) No.40312 को प्राथमिकता दी गई थी। 3. इन दोनों अपीलों को आपस में जुड़े होने और एक ही पक्ष के बीच होने के कारण एक साथ सुनवाई के लिए लिया गया था। हमने श्री मनिंदर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम को सुना।

कोल रन सिंह दूदी [उदय उमेश ललित, जे।]

सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जो अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए, जबकि कर्नल (टी. एस.) आर. एस. दुदी (सेवानिवृत्त) व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और अपनी दलीलें दीं।

4. सेना में पदानुक्रम और चयन और पदोन्नति की विधि पर इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम में विचार किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह कादयान 1 निम्नानुसारः

" 11. सेना में पदानुक्रम और लेफ्टिनेंट के पद से शुरू होकर सेना प्रमुख के पद तक जाने वाले विभिन्न पदों पर चयन और पदोन्नति की विधि स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर के पद हैंः पदोन्नति परीक्षा
उत्तीर्ण करने पर स्वतः पदोन्नति के पद, अंतर योग्यता की परवाह किए बिना, जबकि मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल, कर्नल से ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल और मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के पद सभी चयन पद हैं जो मूल्यांकन की गई सापेक्ष योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

निर्दिष्ट चयन बोर्डों द्वारा "।

उपरोक्त निर्णय के बाद से, एक संशोधन किया गया है और जैसा कि वर्तमान स्थिति 2 है, लेफ्टिनेंट के पद तक की सभी पदोन्नति।

कर्नल किसी भी चयन प्रक्रिया की भागीदारी के बिना समयबद्ध पदोन्नति है और यह केवल लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से कर्नल और उससे ऊपर की पदोन्नति के लिए है कि चयन बोर्ड का गठन किया जाता है। द.

चयन प्रणाली के संदर्भ में प्रासंगिक चयन बोर्डों की संरचना इस प्रकार हैः

" चयन बोर्डों की संरचना

1. विशेष चयन बोर्ड

(क) कार्यः मेजर जनरल से पदोन्नति के लिए अधिकारियों की जांच करना

लेफ्टिनेंट जनरल

(ख) संरचनाः

((i) सभापति

- सीओएएस

- सेना कमांडर (5) वीसीओएएस

((ख) सदस्य

((iii) सचिव

- एमएस

1 2000 (6) एससीसी 698 2 संदर्भ। : अपीलार्थियों की लिखित प्रस्तुतियों का पैरा 3 [2018] 5 एस. सी.

2. नंबर 1 चयन बोर्ड (क) कार्यः मेजर के पद पर पदोन्नति के लिए ब्रिगेडियर की स्क्रीनिंग करना।

(ख) संरचना

((i) सभापति

- सीओएएस

((ख) सदस्य

- सेना कमांडर (5) वीसीओएएस/पीएसओ (1)

(iii) सचिव

- एमएस

3. नंबर 2 चयन बोर्ड (क) कार्यः बी. आर. के पद पर पदोन्नति के लिए कर्नल की जांच करना।

(ख) संरचना

((i) सभापति

- सेना कमांडर (1)

((ख) सदस्य

- कोर कमांडर (1)

लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ स्टाफ

[एक डिव की कमान संभालनी चाहिए थी। (1)] मेजर। जनरल (जी. ओ. सी. प्रभाग) (1)

मेजर। जनरल (कर्मचारी) (1)

- एडल्ट। एमएस (बी)

(iii) सचिव ((iv) उपस्थिति-संबंधित विभाग/सेवाओं के प्रमुख

4. नं. 3 चयन बोर्ड

(क) कार्यः लेफ्टिनेंट कर्नल की कर्नल के पद तक जांच करना।

(ख) संरचना

- कोर कमांडर या लेफ्टिनेंट जनरल जिनके पास है

((i) सभापति

एक कोर का आदेश दिया (1)

((ख) सदस्य

- डिव. कमांडर (2), मेजर जनरल ऑन स्टाफ (2)

- डी. एमएस (बी)

(iii) सचिव ((iv) उपस्थिति में-संबंधित शाखा/सेवाओं के प्रमुख।

5. हम वर्तमान में ओ पद से चयन को लेकर चिंतित हैं।

कर्नल और उपयुक्त चयन बोर्ड के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल के पद के अधिकारी के साथ नंबर 3 चयन बोर्ड होगा।

एयरपर्सन, मेजर जनरल के पद के दो सदस्य और

कमांडर। कुछ मौकों पर इस न्यायालय ने विचार किया है

जहाँ ऐसे चयन निकाय द्वारा किया गया मूल्यांकन और विश्लेषण

सीधे प्रश्न में डाल दिया। इस भारत संघ की कुछ टिप्पणियाँ v.

कोल रन सिंह दूदी [उदय उमेश ललित, जे।]

वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिकः

(क) दलपत में अबासाहेब सोलुंके बनाम। बी. एस. महाजन 3 यह न्यायालय

वेदः

.....इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यह कार्य नहीं है

चयन के निर्णयों पर अपीलों की सुनवाई के लिए न्यायालय

समितियाँ और उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यताओं की जांच करना। क्या कोई उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए योग्य है या नहीं

विधिवत गठित चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया है जिसने

विषय पर विशेषज्ञता। अदालत के पास ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है। चयन समिति के निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सकता है

केवल सीमित आधारों पर, जैसे कि अवैधता या पेटेंट सामग्री

समिति के गठन या चयन को दूषित करने वाली इसकी प्रक्रिया में अनियमितता, या चयन आदि को प्रभावित करने वाले दुर्भावनापूर्ण साबित हुए। 99

(ख) एयर वाइस मार्शल एस. एल. छाबड़ा, वी. एस. एम. (सेवानिवृत्त) बनाम। इस बीच, इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" ..... की ओर से कोई तिरछा उद्देश्य नहीं सुझाया गया है

चयन बोर्ड के किसी भी सदस्य के विरुद्ध अपीलार्थी और

चयन बोर्ड के सदस्यों की ओर से इस तरह के उद्देश्य का अनुमान लगाने के लिए हमारे पास कोई कारण या अवसर नहीं है वर्ष 1987 के संदर्भ में अपीलार्थी को पदोन्नति। उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए गठित सभी चयन बोर्डों का जनहित प्राथमिक विचार होना चाहिए, लेकिन यह चयन बोर्डों के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण है, जो भारतीय वायु सेना में उच्च पदों के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए है। न्यायालय इस शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, इसके स्थान पर

अपना दृष्टिकोण और राय... " (ग) भारत संघ में v. लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह कादयान

क), इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" ..... न्यायालय द्वारा फाइल का आलोचनात्मक विश्लेषण या मूल्यांकन न तो संबंधित अधिकारियों के हितों के लिए अनुकूल हो सकता है और न ही

पूरे बल के मनोबल के लिए। शायद कोई जोर दे सकता है

दूसरे के बजाय एक पहलू लेकिन कुल प्रोफ़ाइल के मूल्यांकन में, पूरे सेवा प्रोफ़ाइल का ध्यान संबंधित अधिकारियों द्वारा रखा गया है और हम अपने विचार को उस पर प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

और यह कि किसी भी प्रासंगिक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया गया है और प्रशासनिक निर्णयों का रिकॉर्ड पर तथ्यों के साथ संबंध है, गुण-दोष के आधार पर उन पर हमला नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा की अनुमति केवल यह पता लगाने की सीमा कि क्या निर्णय तक पहुँचने की प्रक्रिया को सही ढंग से देखा गया है और निर्णय को नहीं।

(घ) इसके अलावा, सुरिंदर शुक्ला बनाम। भारत संघ ', यह था

देखा गयाः

" 11. तुलनात्मक बैच की योग्यता को ध्यान में रखते हुए, यदि चयन बोर्ड ने कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के नाम की सिफारिश नहीं की, जिसे सेना प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया गया प्रतीत होता है, तो यह अदालत के लिए नहीं है जो निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता हैः निर्णय की योग्यता में प्रवेश करने के लिए न्यायिक समीक्षा। चयन बोर्ड का गठन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था।

लेफ्टिनेंट जनरल के पद का अधिकारी। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि चयन बोर्ड को उनके द्वारा विचार किए गए उम्मीदवारों की पहचान के बारे में भी जानकारी नहीं थी क्योंकि केवल सदस्य डेटा शीट में चयन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए आवश्यक उम्मीदवारों की सभी जानकारी दी गई है, लेकिन अधिकारियों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने चयन बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ किसी भी दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया।

6. पहला सवाल जो उठता है वह "परिणामी लाभ" अभिव्यक्ति के महत्व के बारे में है जैसा कि दिनांकित क्रम में उपयोग किया गया है।

20.11.2013 . वह मामला जो सीधे मुद्दे में था और विचाराधीन था, वह जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही की शुद्धता और वैधता थी। इस तरह की जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के निष्कर्षों और प्रभाव को रद्द करते समय, उन लाभों को प्रदान करने का विचार था जिनसे अधिकारी को सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया था क्योंकि इस तरह की कार्यवाही लंबित थी।

कार्यवाही। इसलिए ऐसे लाभ वे होंगे जो आसानी से मात्रात्मक हैं, अर्थात् वे जो वेतन, परिलब्धि और अन्य लाभों के नुकसान की प्रकृति में हैं। लेकिन इस अभिव्यक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि जो पदोन्नति तुलनात्मक योग्यता और चयन के आधार पर होती है, वह भी अधिकारी को प्रदान की जानी चाहिए। यह सच है कि जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही के लंबित होने के परिणामस्वरूप प्रतिवादी को लगभग नौ साल तक सेवा से बाहर रखा गया था और इस तरह उसकी

5 (2008) 2 एस. सी. सी. 649 भारत संघ बनाम

प्रोफाइल कुछ हद तक अपर्याप्तता दिखाएगा। दूसरी ओर विभाग को उन वर्षों के लिए प्रतिवादी के प्रोफाइल के उचित मूल्यांकन से भी वंचित कर दिया गया था। मामले में सही दृष्टिकोण वह है जिस पर इस न्यायालय ने लेफ्टिनेंट कर्नल के. डी. गुप्ता बनाम मामले में विचार किया था। भारत संघ और अन्य 'निम्नानुसारः

" 8. प्रत्यर्थियों ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपेक्षित अवधि के लिए उपयुक्त ग्रेड में सेवा नहीं दी है और

आवश्यक अनुभव और प्रशिक्षण नहीं था और

क्षमता का परिणामी मूल्यांकन जो पदोन्नति के लिए एक पूर्व शर्त है। रक्षा सेवाओं की अपनी विशिष्टताएँ और विशेष आवश्यकताएँ हैं। विचार जो अन्य पर लागू होते हैं

पदोन्नति के मामले में सरकारी कर्मचारियों को निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के बचाव कर्मियों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

श्रेणी और पद। आवश्यक अनुभव, परिणामी प्रदर्शन

और पदोन्नति के अनुसार उचित समीक्षा अनिवार्य है।

और इसलिए याचिकाकर्ता को पदोन्नति नहीं दी जा सकती है जैसा कि उसने इस आधार पर दावा किया है कि उसके सहपाठियों ने ऐसी कमाई की है पदोन्नति। मूल्यांकन के आधार पर व्यक्तिगत क्षमता और विशेष गुणों को खोजना होगा लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में ये उपलब्ध नहीं हैं। हम स्थिति में बल पाते हैं

प्रत्यर्थी और याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं कि उसे उच्च पदों पर पदोन्नति दी जा सकती है जैसा कि उसने अपने सहपाठियों द्वारा प्राप्त पदोन्नति को अपनाकर दावा किया है। माप "।

7. विद्वान सॉलिसिटर जनरल की राय दिनांक 01.11.2013 और परिणामी आदेश दिनांक 20.11.2013 तक ही सीमित होनी चाहिए

जनरल कोर्ट मार्शल की वैधता और शुद्धता का सवाल

कार्यवाहियाँ और वे लाभ जो प्रतिवादी को विशुद्ध रूप से उनके परिणामस्वरूप अस्वीकार कर दिए गए थे। इस अवधारणा को कि उन्हें वे पदोन्नति दी जानी चाहिए जो उनके बैच के साथियों या कनिष्ठों को मिली और इस विचार को कि उन्हें पदोन्नति के लिए भी विचार किया जाना चाहिए जो सख्ती से "चयन" के आधार पर आधारित हैं, इस न्यायालय द्वारा के. डी. गुप्ता (उपरोक्त) में स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए न्यायाधिकरण ने अपने दिनांकित 17.01.2017 आदेश में निर्देश पारित करने में पूरी तरह से गलती की। चूँकि विधि अधिकारी दिनांक 1 की राय संबंधित नियमों के प्रावधानों और के. डी. गुप्ता (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुरूप नहीं थी, इसलिए विभाग ने गंभीर आपत्तियां व्यक्त करने और दिनांकित नोट तैयार करने में उचित ठहराया।

6 1989 पूरक (1) एस. सी. सी. 416 [2018] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

03.02.2016 . न्यायाधिकरण, हमारे सुविचारित विचार में, विधि अधिकारी की राय दिनांक 30.12.2015 को अनुचित महत्व देता है।

8. चाहे जो भी हो, इस मामले पर संख्या 3 चयन बोर्ड द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया था जिसने प्रत्यर्थी को चयन के लिए अयोग्य पाया

" कर्नल "। बोर्ड द्वारा छह संकेतकों या मापदंडों पर मामले का विश्लेषण किया गया था। मूल्यांकन उन छह मापदंडों के विपरीत श्रेणीकरण को ध्यान में रखते हुए संचयी था। मान लीजिए, उत्तरदाता इंडिका संख्या के मामले में कम था। (ii), (iv) और (v) अन्य सभी तीन अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें एक ऐसा अधिकारी शामिल था जिसे बिल्कुल भी सूचीबद्ध नहीं किया गया था। इसके अलावा, संकेत संख्या (vi) के खिलाफ फटकार की प्रविष्टि ने भी प्रतिवादी के मामले को नकारात्मक में डाल दिया। इस स्तर पर हम विचार कर सकते हैं कि क्या वर्ष 1991 की फटकार की प्रविष्टि को सही या गलत तरीके से ध्यान में रखा गया था।

9. दिनांक 06.05.1987 की चयन नीति के पैराग्राफ 10 (एफ) के संदर्भ में जिसे अपीलार्थियों द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया है, अनुशासनात्मक पुरस्कार एक अधिकारी के समग्र प्रोफाइल का हिस्सा है। उक्त प्रावधान वास्तव में यह बताता है, "चरित्र, गुण, अनुशासनात्मक पृष्ठभूमि और सजावट एक अधिकारी के समग्र प्रोफाइल के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाते हैं।

और सीमा रेखा के मामलों का आकलन करते समय उचित विचार किया जाना चाहिए। भर्त्सना की प्रविष्टि पर भरोसा करने में चयन बोर्ड की ओर से की गई कार्रवाई इस प्रकार चयन नीति के अनुरूप थी और इसे किसी भी तरह से गलत या अवैध नहीं माना जा सकता था। जो भी हो, वह

चयन बोर्ड के साथ वजन रखने वाला एकमात्र सूचक नहीं। इस तरह की प्रविष्टि को छोड़ने पर भी, प्रतिवादी को अन्य तीन संकेतकों पर तीन अधिकारियों के मुकाबले कम पाया गया। इस समय यह ध्यान देने योग्य है कि भले ही उन तीन अधिकारियों में से एक ने काम किया था

अन्य तीन संकेतक या मापदंडों पर। यह संचयी मूल्यांकन है जो चयन बोर्ड से अपेक्षित था और उसने किया था। जा रहे हैं। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा, यह नहीं कहा जा सकता है कि चयन बोर्ड के मूल्यांकन को किसी भी मामले में नुकसान हुआ है। इस मामले में अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है या प्रासंगिक कारकों में भारत का संघ नहीं है।

कोल रन सिंह दूदी [उदय उमेश ललित, जे।]

छूट गया या विचार से हटा दिया गया। चयन बोर्ड में भारतीय सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे। चयन बोर्ड के सदस्यों की ओर से की गई कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं है और न ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस प्रकार न्यायाधिकरण पूरी तरह से अनुचित था

चयन बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन को विकृत पाते हुए।

11. मामले पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, हम न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर सकते। हमारे अनुसार, का दृष्टिकोण न्यायाधिकरण और उसके द्वारा किया गया आकलन पूरी तरह से गलत था। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी को पाँच लाख रुपये का खर्च देने में भी न्यायसंगत नहीं था।

12. यह हो सकता है कि प्रतिवादी के खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई की गई हो और जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दंडित किया गया हो। उन्हें सजा भी सुनाई गई थी। कारावास और नौ साल की सेवा खो दी। पूर्वाग्रह काफी स्पष्ट है। हालाँकि सहानुभूति विचारों से अधिक नहीं हो सकती है।

योग्यता के आधार पर। 26 साल की नियमित सेवा के बाद उन्हें कर्नल के पद पर समयबद्ध पदोन्नति मिली है। लेकिन अगर उन्हें चयन के माध्यम से सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, तो मामला वहीं समाप्त होना चाहिए।

13. इसलिए हम दोनों अपीलों की अनुमति देते हैं और निर्णयों को दरकिनार कर देते हैं

और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 17.01.2017 और 12.09.2017 के आदेश।

14. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन